

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक - एफ 73 - 98 / 20-3/2003

भोपाल, दिनांक - 30-6-03

प्रति,

✓ सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय स्टार्टअप एकेडमी इलाहाबाद विहार निपान्या रोड, इन्दौर,
को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी.
देने बाबत ।

== 00 ==


राज्य शासन द्वारा अशासकीय स्टार्टअप एकेडमी इलाहाबाद विहार निपान्या रोड, इन्दौर
को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण
पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी
को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (परीक्षा) को
या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना
होगा ।
03. मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों
में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों
को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्याता ग्रहण कर सकता
है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो
उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर. . . .

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



§ एम। एल। आर. § 30/6/03
अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठठांकन क्रमांक एफ 73-98 /20-3/2003
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला -
3. प्राचार्य, अशाओ सड़वांदड एकेडमी इराकान विहार, निपांरुया रोड, इन्दौर, म.प्र.
को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रचित है ।


अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//मानकर//

28.06.03